कृष्णन

बनाम

बैकियम और अन्य

11 सितंबर, 2007

(ए के माथुर एवं मार्कंडेय काटजू जे. जे.)

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908-धारा 100-द्वितीय अपील का दायरा-प्रतिपादित किया कि: उच्च न्यायालय दूसरी अपील में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज तथ्यों के निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है-तथ्यों के निष्कर्ष को यद्यपि दूसरी अपील में इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह विकृत है या किसी सबूत पर आधारित नहीं है- लेकिन उस आशय का प्रश्न तैयार किये बिना नहीं- मामले के तथ्यों के अनुसार, उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा कोई प्रश्न तैयार नहीं किया गया- इसलिये उच्च न्यायालय द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के तथ्य के निष्कर्ष में हस्तक्षेप उचित नहीं है।

अपीलार्थी-वादी ने प्रतिवादी-उत्तरदाता के खिलाफ घोषणा व निषेधाज्ञा का दावा इस आशय का पेश किया कि वादग्रस्त भूमि को उसके मालिक आर(उर्फ एल) ने उसे गिरवी रखा तत्पश्चात् भूमि उसे जरिये

विक्रय विलेख विक्रय की गई। बाद में उक्त विक्रय विलेख का सुधार भी अन्य विक्रय विलेख के द्वारा किया गया। प्रतिविादी ने वाद का विरोध करते हुए यह अभिकथन किया कि भूमि का मालिक आर था और वह उसके अनुरोध पर उक्त सम्पत्ति पर खेती करने में उसकी सहायता कर रहा था: और उक्त तीनों दस्तावेज जाली दस्तावेज हैं वाद खारिज किया गया। प्रथम अपील का निर्णय अपीलार्थी के पक्ष में यह मानते हुए किया कि आर और एल एक ही व्यक्ति है: और विक्रय विलेख पी.ड. 3 व पी.ड.1 द्वारा साबित किया गया था: और उक्त दस्तावेज जाली हो, इसको साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। उच्च न्यायालय ने उसके विरूद्ध दूसरी अपील को स्वीकार कर लिया इसलिये यह अपील पेश की गई।

न्यायालय ने इस अपील को स्वीकार किया अभिनिर्धारित किया किः-

उच्च न्यायालय ने व्यवहारिक रूप से प्रथम अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य किया है और विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश के तथ्यों के निष्कर्ष की फिर से सराहना की है जो कि धारा 100 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए वैध रूप से नहीं कर सका है। (पैरा 12 905 बी,सी)

संशोधित धारा 100 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत उच्च न्यायालय को विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करने होते हैं और केवल उन्हीं प्रश्नों पर दूसरी अपील का निस्तारण किया जा सकता है। तैयार किये गये प्रश्नों के

अवलोकन से यह प्रकट होता है कि विधि का कोई प्रश्न तैयार नहीं किया गया था कि क्या प्रथम अपीलीय न्यायालय का यह निष्कर्ष कि लक्ष्मी और रामयी एक ही व्यक्ति हैै, बिना किसी सबूत पर आधारित है या विकृत है। (पैरा 10 904 एफ,जी)

प्रथम अपीलीय न्यायालय धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता के आधार पर तथ्यों का अंतिम न्यायालय है उच्च न्यायालय द्वितीय अपील में धारा 100 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रथम अपीलीय न्यायालय के धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत दिये गये तथ्यों के निष्कर्ष पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के तथ्यों के निष्कर्षों को दूसरी अपील में इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि उक्त निष्कर्ष बिना किसी सबूत पर आधारित है अथवा विकृत है लेकिन उस मामले में भी उच्च न्यायालय द्वारा विधि का एक प्रश्न तैयार किया जाना चाहिये। हस्तगत मामले में उच्च न्यायालय द्वारा इस आशय का कोई प्रश्न नहीं बनाया गया कि क्या प्रथम अपीलीय न्यायालय के रामयी व लक्ष्मी के एक ही व्यक्ति होने के निष्कर्ष किसी सबूत पर आधारित नहीं था या विकृत रहा हो। (पैरा 11 904 जीः 905 ए,बी)

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील नं. 3713/2001

उच्च न्यायालय मद्रास के द्वितीय अपील नं. 1927/1999 में पारित निर्णय दिनांक 31.01.2000 के विरूद्ध

पी.वी.योगेश्वरन, एम.ए. चिन्नासामी, बी.बी. चैहान और के. कुमार -अपीलार्थी की ओर से

एस.आर. शर्मा और एस.श्रीनिवासन- उत्तरदाता की ओर से

न्यायाधिपति मार्कण्डेय काटजू

1- यह अपील मद्रास उच्च न्यायालय की द्वितीय अपील संख्या 1927/1999 में पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 31.01.2000 के विरूद्ध दायर की गई है।

2- हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और रिकार्ड का अवलोकन किया।

3- वादी-अपीलकर्ता कृष्णन ने प्रतिवादी/उत्तरदाता के खिलाफ घोषणा व निषेधाज्ञा का दावा पेश किया। जिसमें यह अभिकथित किया गया कि वादग्रस्त सम्पत्ति पहले 30.09.1988 को उसके पास गिरवी रखी गयी थी और फिर जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख के दिनांक 25.09.1989 को रामयी उर्फ लक्ष्मी द्वारा उसे बेच दी गई जिसे एक अन्य पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 10.09.1990 द्वारा भी सुधारा गया था। वाद में यह

अभिकथित किया गया कि वादी को बेदखल किये जाने का प्रयास भी किया जा रहा है इसलिये उसके पक्ष में निषेधाज्ञा जारी की जावे।

4- प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे में यह अभिकथित किया गया कि रामयी ने न तो पंजीकृत बंधक विलेख दिनांक 30.09.1988 और ना ही पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 25.09.1989 और ना ही सुधार विलेख दिनांक 10.09.1990 निष्पादित किया था। जवाब दावे में यह अभिकथित किया गया कि भूमि के मालिक रामयी के अनुरोध पर प्रतिवादी उसके निर्देशों के तहत उक्त सम्पत्ति पर खेती करने में उसकी सहायता कर रहा है और वादी का उक्त सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी/उत्तरदाता द्वारा यह अभिकथित किया गया कि बंधक विलेख दिनांक 30.09.1988, पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 25.09.1989 और सुधार विलेख दिनांक 10.09.1990 जिसे रामयी द्वारा निष्पादित किया जाना बताया गया है वह वास्तव में जाली दस्तावेज है।

5- विचारण न्यायालय ने दावे को खारिज कर दिया जिसके खिलाफ वादी अपीलकर्ता ने अधीनस्थ न्यायाधीश, शिवगंगा के न्यायालय में पहली अपील दायर की, जो कि दिनांक 13.04.1999 के निर्णयानुसार स्वीकार की गई। इस निर्णय में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि:-

''वादी के गवाहों से यह प्रकट होता है कि लक्ष्मी और रामयी एक ही व्यक्ति है। एक बार जब वादी अपने गवाहों के द्वारा अपना मामला साबित कर देता है तो सबूत का भार प्रतिवादी पर स्थानान्तरित हो जाता है। यहां प्रतिवादी को यह साबित करना था कि प्रदर्श ए-4 विक्रय विलेख एक जाली अथवा बनाया गया दस्तावेज है। विधि में विक्रय विलेख के अनिवार्य सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। धारा 54 व 59 सम्पत्तियों के हस्तान्तरण में अनिवार्य सत्यापन के बारे में बात नहीं करते है। जब विधिनुसार अनिवार्य सत्यापन की आवश्यकता नहीं होती है तब अप्रमाणिक दस्तावेजो को भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार साबित किया जा सकता है। धारा 68 भारतीय साक्ष्य अधिनियम विक्रय विलेख पर लागू नहीं होती है। धारा 68 भारतीय साक्ष्य अधिनियम केवल उन्हीं दस्तावेजों के संबंध में लागू होती है जो कानूनन सत्यापित किया जाना आवश्यक है।''

6- इस प्रकार यद्यपि बंधक विलेख दिनांक 30.09.1988 व विक्रय विलेख दिनांक 25.09.1989 तथा सुधार विलेख दिनांक 10.09.1990 को लक्ष्मी द्वारा निष्पादित किया जाना अभिकथित किया

गया है लेकिन प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा यह पाया गया है कि लक्ष्मी व रामयी एक ही व्यक्ति है। चूंकि रामयी स्वीकृत रूप से वादग्रस्त सम्पत्ति की मालिक थी, विक्रय विलेख दिनांक 25.09.1989 कथित तौर पर लक्ष्मी द्वारा निष्पादित किया जाना बताया गया है। वास्तव में यह रामयी द्वारा निष्पादित किया गया है क्योंकि लक्ष्मी व रामयी एक ही व्यक्ति है। इसलिये विक्रय विलेख के कारण सम्पत्ति का स्वामित्व वादी अपीलार्थी को मिल गया।

7- प्रथम अपीलीय न्यायालय ने यह भी माना कि विक्रय विलेख प्रदर्श ए-4 के जाली दस्तावेज होने का, साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। लेकिन उसके द्वारा उक्त भार को उन्मुक्त नहीं किया गया है। आगे यह भी माना गया कि विक्रय विलेख गवाह पी.ड. 3 और गवाह पी.ड. 1 के द्वारा साबित किया गया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा यह भी माना गया कि वादी वादग्रस्त सम्पत्ति पर काबिज था और विक्रय विलेख दिनांक 25.09.1989 वैध था।

8- प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध प्रतिवादी/उत्तरदाता ने उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील दायर की जो कि स्वीकार हुई। यह अपील विशेष अनुमति द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.01.2000 के विरूद्ध पेश की गई।

9- उच्च न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित तीन प्रश्नों को कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में तैयार किया है-

1. क्या निचली अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रदर्श ए3 से ए5 के तहत दस्तावेजों के निष्पादन और पंजीकरण के बारे में सबूत का भार दूसरे अपीलकर्ता पर डालकर विधि की कोई भूल नहीं की है?

2. क्या निचली अपीलीय न्यायालय ने मुकदमें को डिक्री करने में विधि की कोई भूल नहीं की है जब उत्तरदाता/वादी यह साबित करने में असफल रहा है कि प्रदर्श ए3 से ए5 के तहत दस्तावेज दूसरे अपीलकर्ता द्वारा निष्पादित और पंजीकृत किये गये थे? और

3. क्या निचली अपीलीय न्यायालय ने रिकार्ड पर किसी भी सामग्री के अभाव में यह अभिनिर्धारित करने में कोई त्रुटि नहीं की है कि उत्तरदाता कब्जे में है और उसका आनन्द ले रहा है?

10- संशोधित धारा 100 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत उच्च न्यायालय को विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करने होते हैं और केवल उन्हीं प्रश्नों पर दूसरी अपील का निस्तारण किया जा सकता है। तैयार किये गये प्रश्नों के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि विधि का कोई प्रश्न तैयार नहीं किया गया था कि क्या प्रथम अपीलीय न्यायालय का यह

निष्कर्ष कि लक्ष्मी और रामयी एक ही व्यक्ति हैं, बिना किसी सबूत पर आधारित है या विकृत है।

11- यह उल्लेख किया जा सकता है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता के आधार पर तथ्यों का अंतिम न्यायालय है उच्च न्यायालय द्वितीय अपील में धारा 100 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रथम अपीलीय न्यायालय के धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत दिये गये तथ्यों के निष्कर्ष पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के तथ्यों के निष्कर्षों को दूसरी अपील में इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि उक्त निष्कर्ष बिना किसी सबूत पर आधारित है अथवा विकृत है लेकिन उस मामले में भी उच्च न्यायालय द्वारा विधि का एक प्रश्न तैयार किया जाना चाहिये। हस्तगत मामले में उच्च न्यायालय द्वारा इस आशय का कोई प्रश्न नहीं बनाया गया कि क्या प्रथम अपीलीय न्यायालय के रामयी व लक्ष्मी के एक ही व्यक्ति होने के निष्कर्ष किसी सबूत पर आधारित नहीं था या विकृत रहा हो।

12- उच्च न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उच्च न्यायालय ने व्यवहारिक रूप से प्रथम अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य किया है और विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश के तथ्यों के निष्कर्ष की फिर से सराहना की है जो कि धारा 100 सिविल प्रक्रिया संहिता के

तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए वैध रूप से नहीं कर सका है।

13- इन परिस्थितियों में हम उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को निरस्त करते हैं और प्रथम अपीलीय न्यायालय की दिनांक 13.04.1999 के निर्णय को पुर्नस्थापित करते है।

14- अपील स्वीकार की जाती है खर्चे के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अंकुश भदोरिया (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

**अस्वीकरण:** यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।